प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
   प्र. ई. रि. स. – 295/2022 दिनांक – 07/10/2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7,
   (ब) अधिनियम – .... धाराये – ....
   (स) अधिनियम – .... धाराये – ....
   (द) अन्य अधिनियम – धाराये – 120 बी आईपीसी
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 95 समय – 3:15 P.M.
   ब. अपराध के घटने का दिन – गुरूवार, दिनांक – 06.10.2022 समय – 02.24 पी.एम.
   स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 29.09.2022 समय – 05.00 पी.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख पश्चिम 03 किलोमीटर लगभग
   (ब) पता :– गेट नम्बर 02 के अन्दर चौराहा, मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर, जोधपुर
   बीट संख्या जरायमदेही संख्या
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
   पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी का नाम
   1. (अ) नाम – भगवानाराम (ब) पिता/पति का नाम – श्री भीखाराम
   (स) जन्म तिथि/वर्ष – 59 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) व्यवसाय – नौकरी (र) पता – ग्राम रामजी का गोल, गुडामालानी जिला बाडमेंर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
   1. श्री अनिल कुमार भाटी पुत्र आनन्द प्रकाश भाटी जाति सैन उम्र 58 साल निवासी सी–183, सरस्वती नगर, जिला जोधपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, गौशाला मैदान के पास जोधपुर एवं अन्य।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही
9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 25,000/– रू.**
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)............. कोई नहीं...........
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट..

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
स्पेशल यूनिट, जोधपुर

विषयः– रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवानें बाबत।

महोदय जी,

निवेदन है कि मै भगवानाराम पुत्र श्री भीखाराम आयु 59 वर्ष निवासी रामजी का गोल तहसील गुडामालानी बाडमेर का रहनें वाला हूं। मै प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय भाभुओं की ढाणी बाडमेंर में पदस्थापित हूं। दिनांक 17.08.2022 कों मुझे संयुक्त निदेशक श्री प्रेमचन्द सांखला नें बदनियति सें ए.पी.ओ. कर दिया था। जिसके विरूद्व मै माननीय न्यायालय में जाकर रिट दायर की जिस पर संयुक्त निदेशक नें पीछे की तारीख सें मेरा पदस्थापन वर्तमान विधालय से अन्य विधालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विधालय अणाखिया बाडमेंर में कर दिया। इस आदेश के विरूद्व मैनें माननीय उच्च न्यायालय में रिट संख्या 12964/2022 दर्ज करायी। जिस पर माननीय न्यायालय नें दिनांक 16.09.2022 कों आदेश पारित किया कि सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन दिया जाकर रिटायरमेन्ट के कम समय को देखतें हुए निकट के रिक्त स्थान पर नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश पारित किया जाय। उक्त आदेश की पालना में संयुक्त निदेशक प्रेमचन्द सांखला ने मुजसे अपनें दलाल श्री अनिल कुमार भाटी (प्रशासनिक अधिकारी) के मार्फत 50,000 रूपयें रिश्वत के रूप में मांग रहे है एवं रिश्वत देनें के लिए मुझे धमका रहे है कि हम तुम्हारी निवृत्ति सेवा खराब कर देगे। मै अनिल कुमार से मिला तों उसने कहा कि संयुक्त निदेशक व साथ में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री विक्रम गहलोत सें मेरी बात हो गई है दोनों नें 50,000 रूपयें पर हॉ भरी है। आप ये रूपयें इन दोनों के लिए मुझे लाकर दे दों तों कोर्ट के आदेश की पालना जल्दी करवा कर आपकें आस–पास इच्छित स्थान पर पोस्टिंग कर देगे। श्रीमान मै मेरे नियमानुसार कोर्ट के आदेश की पालना में नव पदस्थापन आदेश के लिए संयुक्त निदेशक श्री प्रेमचन्द सांखला, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री विक्रम गहलोत व इन दोनों के दलाल अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक जोधपुर (स्कूल शिक्षा) कों रिश्वत नही देने चाहता हूं। बल्कि रिश्वत लेतें हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। संयुक्त निदेशक श्री प्रेमचन्द सांखला, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री विक्रम सिंह गहलोत व प्रशासनिक अधिकारी श्री अनिल कुमार भाटी सें मेरा कोई उधार और लेना देना बकाया नही है। और ना ही मेरी इनसे कोई रंजिश या मनमुटाव है। श्रीमान जी से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करावे। रिपोर्ट के साथ कोर्ट के आदेश की प्रति तथा मेरा पहचान पत्र की प्रति दे रहा हूं।

दिनांक 29.9.2022

एसडी
भगवानाराम पुत्र श्री भीखाराम
रामजी का गोल, गुडामालानी
बाडमेंर
8003032454

कार्यवाही पुलिस, दिनांक 29.09.2022 समय 5.00 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री भगवानाराम पुत्र श्री भीखाराम उक्तरोक्त रिपोर्ट के साथ कार्यालय उपस्थित आया। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन करनें से मजमून से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जानें से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

एसडी
(भगवानाराम)

एसडी
(दुर्गसिंह राजपुरोहित)
29/09/22
अति.पु. अधीक्षक

एसडी
(राकेश कच्छवाहा)
06–10–2022

एसडी
(धर्मेन्द्रसिंह भाटी)
06–10–2022

एसडी
(राजेन्द्रसिह) CI
06–10–2022

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 29.09.2022 समय 05.00 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री भगवानाराम पुत्र श्री भीखाराम रामजी का बोल, गुडामालानी जिला बाडमेंर नें कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित लिखित रिपोर्ट मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि " निवेदन है कि मै भगवानाराम पुत्र श्री भीखाराम आयु 59 वर्ष निवासी रामजी का गोल तहसील गुडामालानी बाडमेर का रहनें वाला हूं। मै प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय भाभुओं की ढाणी बाडमेंर में पदस्थापित हूं। दिनांक 17.08.2022 कों मुझे संयुक्त निदेशक श्री प्रेमचन्द सांखला नें बदनियति सें ए.पी.ओ. कर दिया था। जिसके विरूद्व मै माननीय न्यायालय में जाकर रिट दायर की जिस पर संयुक्त निदेशक नें पीछे की तारीख सें मेरा पदस्थापन वर्तमान विधालय से अन्य विधालय राजकीय बालिका उच्च्य माध्यमिक विधालय अणाखिया बाडमेंर में कर दिया। इस आदेश के विरूद्व मैनें माननीय उच्च न्यायालय में रिट संख्या 12964/2022 दर्ज करायी। जिस पर माननीय न्यायालय नें दिनांक 16.09.2022 कों आदेश पारित किया कि सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन दिया जाकर रिटायरमेन्ट के कम समय को देखतें हुए निकट के रिक्त स्थान पर नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश पारित किया जाय। उक्त आदेश की पालना में संयुक्त निदेशक प्रेमचन्द सांखला ने मुजसे अपनें दलाल श्री अनिल कुमार भाटी (प्रशासनिक अधिकारी) के मार्फत 50,000 रूपयें रिश्वत के रूप में मांग रहे है एवं रिश्वत देनें के लिए मुझे धमका रहे है कि हम तुम्हारी निवृत्ति सेवा खराब कर देगे। मै अनिल कुमार से मिला तों उसने कहा कि संयुक्त निदेशक व साथ में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री विक्रम गहलोत सें मेरी बात हो गई है दोनों नें 50,000 रूपयें पर हॉ भरी है। आप ये रूपयें इन दोनों के लिए मुझे लाकर दे दों तों कोर्ट के आदेश की पालना जल्दी करवा कर आपकें आस–पास इच्छित स्थान पर पोस्टिंग कर देगे। श्रीमान मै मेरे नियमानुसार कोर्ट के आदेश की पालना में नव पदस्थापन आदेश के लिए संयुक्त निदेशक श्री प्रेमचन्द सांखला, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री विक्रम गहलोत व इन दोनों के दलाल अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक जोधपुर (स्कूल शिक्षा) कों रिश्वत नही देने चाहता हूं। बल्कि रिश्वत लेतें हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। संयुक्त निदेशक श्री प्रेमचन्द सांखला, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री विक्रम सिंह गहलोत व प्रशासनिक अधिकारी श्री अनिल कुमार भाटी सें मेरा कोई उधार और लेना देना बकाया नही है। और ना ही मेरी इनसे कोई रंजिश या मनमुटाव है। श्रीमान जी से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करावे। रिपोर्ट के साथ कोर्ट के आदेश की प्रति तथा मेरा पहचान पत्र की प्रति दे रहा हूं।" परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाने से मंगवाकर परिवादी श्री भगवानाराम को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई।

वक्त 06.10 पी.एम. पर कार्यालय के श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 व परिवादी श्री भगवानाराम का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी श्री भगवानाराम नें बताया कि आज कार्यालय का समय पूर्ण हो चुका है। इसलियें आरोपीगण से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता आज नही हो पायेगी। जिस पर कल दिनांक 30.09.2022 को रिश्वत राशि का मांग सत्यापन वार्ता करवाई जावेगी। परिवादी को गोपनीय कार्यवाही की गोपनीय बरतनें की हिदायत देकर दिनांक 30.09.2022 को समय 10.30 ए.एम. पर कार्यालय उपस्थित होनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया।

दिनांक 30.09.2022 वक्त 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री भगवानाराम पूर्व से पाबन्द शुदा हाजिर कार्यालय आया।

वक्त 10.35 ए.एम. पर श्री प्रकाश नम्बर 265 को कार्यालय कक्ष में तलब कर डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द कर आरोपीगण सें रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर लानें हेतु परिवादी श्री भगवानाराम के साथ उनकी निजी कार में कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, गौशाला मैदान के पास जोधपुर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 12.20 पी.एम. पर श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 मय परिवादी श्री भगवानाराम के कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर श्री प्रकाश कानि. नें मन् अति. पुलिस अधीक्षक को कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि "मैं व परिवादी श्री भगवानाराम कार्यालय से समय 10.35 ए.एम. पर परिवादी के निजी वाहन से परिवादी श्री भगवानाराम के साथ रवाना होकर कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, गौशाला मैदान जोधपुर के पास पहुंचे। जहां पर मेरे द्वारा परिवादी श्री भगवानाराम कों डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर

ऑन करके दलाल आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करनें के लिए रवाना किया गया और मै गोपनीय रूप सें आसपास ही अपनी उपस्थिति छिपातें हुए खडा रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री भगवानाराम मेरे पास वापिस आया और मुझे डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द किया। डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर कों मैने स्वीच ऑफ कर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा। परिवादी नें मुझे बताया कि " मेरी दलाल आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी, प्रशासनिक अधिकारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हो चुकी है। श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी नें मेरे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में नजदीक स्थान पर पदस्थापन करवानें की एवज में कुल 50,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग की है। जिसमें से 25000 रूपयें काम होनें से पहलें व 25000 रूपयें काम होनें के बाद देना तय हुआ है। साथ ही परिवादी नें यह भी बताया कि मैनें श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी को कहा कि मुझे श्री विक्रम गहलोत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सें भी मिला दों। जिस पर श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी नें कहा कि श्री विक्रम गहलोत आपसें सीधे बातचीत नही करेगे। हमारें कार्यालय में काम करवानें का यही तरीका है। मै श्री विक्रम गहलोत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को रिश्वत राशि दूगा। वो आगे श्री प्रेमचन्द सांखला सयुक्त निदेशक को देगे।" इसके बाद हम दोनों कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा से रवाना होकर कार्यालय आये है। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर उक्त मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री भगवानाराम से दलाल आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा परिवादी के पदस्थापन आदेश करवानें की एवज में कुल 50,000 रूपयें रिश्वत राशि मांगना व 25000 रूपयें काम होनें से पहलें व 25000 रूपयें काम होनें के बाद मांगना पाया गया। उक्त मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लेकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा।

वक्त 02.00 पी.एम. पर परिवादी श्री भगवानाराम को ब्यूरों की कार्यवाही की गोपनीयता की हिदायत देकर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय उपस्थित होनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया।

दिनांक 06.10.2022 वक्त 12.45 पी.एम. पर परिवादी श्री भगवानाराम कार्यालय उपस्थित आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि दलाल आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी का मेरे मोबाईल नम्बर 8003032454 पर आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी के मोबाईल नम्बर 9001660601 से समय 12.31 पी.एम. पर कॉल आया और बताया कि आप रिश्वत राशि लेकर आज कार्यालय आ जाओ। जिस पर मै 25000 रूपयें रिश्वत राशि की व्यवस्था करके कार्यालय आया हूं। चूंकि विक्रम गहलोत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी व श्री प्रेमचन्द सांखला संयुक्त निदेशक मुझसे सीधे रिश्वत की राशि नही लेगे इसलियें दलाल अनिल कुमार भाटी को ही उसके द्वारा मांगी जाने वाली रिश्वत राशि 25,000 रूपयें देनी होगी। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही करनें का निर्णय लेते हुए हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर ब्यूरों जाब्ता मय एक अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक की आवश्यकता होनें से शहर चौकी श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को अविलम्ब स्पेशल यूनिट जोधपुर पहुंचनें के निर्देश दिये गये।

समय 01.00 पी.एम. पर ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने पर जेडीए सचिव से वार्ता की जाकर श्री रामचन्द्र सिंह कानि. नम्बर 432 को सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम तहरीर जारी कर इस कार्यालय के पत्रांक 1748 दिनांक 06.10.2022 के द्वारा दो स्वतंत्र गवाहान लानें हेतु मय तहरीर के जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के लिए रवाना किया गया।

समय 01.05 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अन्य गोपनीय कार्यवाही में व्यस्त होनें के कारण मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें परिवादी श्री भगवानाराम की गोपनीय कार्यवाही की रिपोर्ट व डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री भगवानाराम व आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी के बीच दिनांक 30.09.2022 को रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है, को कार्यालय कक्ष में श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट जोधपुर को तलब कर सुपर्द किये जाकर निर्देश दिये गये कि परिवादी की गोपनीय रिपोर्ट पर ट्रेप कार्यवाही करे। कार्यालय कक्ष में बैठे परिवादी श्री भगवानाराम का श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस से परिचय करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस को सुपर्द किया गया। जेडीए जोधपुर से गवाह हेतु श्री रामचन्द्र सिह कानि. नम्बर 432 को तहरीर देकर रवाना किया गया है। जिनके आनें पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लावे।

समय 01.10 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस परिवादी श्री भगवानाराम के प्रार्थना पत्र मय डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी सहित अपनें कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया। मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी द्वारा दी गये प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। परिवादी से उनके प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पूछताछ की गई। परिवादी श्री भगवानाराम व आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी के बीच दिनांक 30.09.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य मांग अंश को डिजीटल वॉयस टेप

रिकॉर्डर से सुना गया तों श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा परिवादी श्री भगवानाराम के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में नजदीक स्थान पर पदस्थापन करवानें की एवज में कुल 50,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना, जिसमें से 25000 रूपयें काम होनें से पहलें व 25000 रूपयें काम होनें के बाद देना तय होना पाया गया है। उक्त वार्तालाप की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। इसी दौरान श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर भी कार्यवाही की इमदाद में उपस्थित आये। जिनकों ब्यूरों की गोपनीय कार्यवाही में शामिल किया गया।

समय 01.25 पी.एम. पर श्री रामचन्द्र सिंह कानि. नम्बर 432 जेडीए जोधपुर सें दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय हाजा पर लेकर उपस्थित आए। जिनको मन् राजेन्द्रसिंह पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछने पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान ने बारी बारी से अपना परिचय श्री धर्मेन्द्र सिह भाटी पुत्र श्री सुगनसिंह भाटी जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी पीडब्लूडी ऑफिस के पीछे प्रतापनगर औसिया तहसील औसिया जिला जोधपुर हाल भू अभिलेख निरीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9460662802 एवं श्री राकेश कच्छवाहा पुत्र श्री कृपालसिह कच्छवाहा जाति माली उम्र 36 साल निवासी नागौर बेरा मण्डोर जिला जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, मोबाईल नम्बर 7742856696 होना बताया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री भगवानाराम का आपसी परिचय करवाया गया। मन् राजेन्द्रसिंह पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भगवानाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का दोनों स्वतन्त्र गवाहान कों अवलोकन करवाकर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री भगवानाराम एवं आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन की दिनांक 30.09.2022 की वार्ता रिकार्ड है, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता, की रिकॉर्डिंग के मुख्य–मुख्य मांग अंश को दोनों गवाहान कों सुनाया गया, मन् राजेन्द्रसिंह पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भगवानाराम द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट को पढ़कर दोनों गवाहान को सुनाई गई और दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढवायी गई। परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट को पढ–सुन दोनों गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजात की फोटो प्रतिया पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान नें अपने अपने हस्ताक्षर किये। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास मे रखा। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी।

समय 01.40 पी.एम. पर दोनों गवाहान के रू–ब–रू परिवादी श्री भगवानाराम पुत्र श्री भीखाराम उम्र 59 साल निवासी ग्राम रामजी का गोल तहसील गुड़ामालानी बाड़मेर द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री भगवानाराम ने भारतीय मुद्रा के दो–दो हजार के कुल 12 नोट एवं पाँच सौ रूपयें के 02 नोट कुल राशि 25,000 रूपये पेश किये। परिवादी श्री भगवानाराम द्वारा प्रस्तुत नोटों पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आई तथा उक्त 25000 रूपये के नोटो पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री भगवानाराम की जामा तलाशी गवाह श्री धमेन्द्र सिह भाटी से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 8003032454 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 25000 रूपये जो श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री भगवानाराम के पहने हुए शर्ट की बांयी जेब में श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री भगवानाराम को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। रिश्वत राशि का लेन होने पर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेरे या यदि लेन देन आपके वाहन में हो तो अपने वाहन के इण्डीकेटर चालू करने का ईशारा या मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 9414169480 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमति सुशीला महिला कानि.103 के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103. से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी

गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। फर्द पेशकसी पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई।

समय 02.05 पी.एम. पर परिवादी श्री भगवानाराम को छोड़कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के साबुन से साफ हाथ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय परिचय–पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास में रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा खर्चे के 5,000 रूपये अपने पास रखे।

समय 02.08 पी.एम. पर परिवादी श्री भगवानाराम के मोबाईल नम्बर 8003032454 से आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी के मोबाईल नम्बर 9001660601 पर कॉल करवाकर आरोपी की उपस्थिति के बारें में पता किया गया तों आरोपी नें कहा कि मै मथुरादास माथुर अस्पताल आ गया हूं। आप मुझे मथुरादास माथुर अस्पताल के गेट नम्बर 02 पर आकर कॉल करे।

समय 02.10 पी.एम. पर मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 निजी कार सें व श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 को निजी मोटर साईकिल व श्री रामचन्द्रसिंह कानि. व श्री अर्जुनसिह कानि. नम्बर 319 को रामचन्द्र सिह की निजी मोटर साईकिल से तथा श्रीमती मधुमति हैड कानि. नम्बर 89, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री धर्मेन्द्र सिंह भाटी व श्री राकेश कच्छवाहा के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री गणेश कुमार कानि. नम्बर 219 के ब्यूरों के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादिया के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली, परिवादी श्री भगवानाराम मय श्री प्रकाश कानि. को परिवादी के निजी वाहन सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट से मथुरादास माथुर अस्पताल के लिए रवाना हुए।

समय 02.45 पी.एम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों जाब्ता मय परिवादी व स्वतन्त्र गवाह व आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय उपस्थित आये। निर्देशानुसार ब्यूरों जाब्ता सें श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को निर्देश दिये गये कि आप मय ब्यूरों स्टाफ सरकारी वाहन के अन्य सरकारी गवाह ले जाकर आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी के आवास की सर्च हेतु रवाना होवे जिस पर पुलिस निरीक्षक मनीष वैष्णव मय ब्यूरों जाब्ता व सरकारी गवाहान व लेपटॉप प्रिन्टर लेकर रवाना किया गया।

समय 02.50 पी.एम पर हालात इस प्रकार है कि वक्त 02.10 पी.एम. पर मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 निजी कार सें व श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 को निजी मोटर साईकिल व श्री रामचन्द्रसिंह कानि. व श्री अर्जुनसिह कानि. नम्बर 319 को रामचन्द्र सिह की निजी मोटर साईकिल से तथा श्रीमती मधुमति हैड कानि. नम्बर 89, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री धर्मेन्द्र सिंह भाटी व श्री राकेश कच्छवाहा के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री गणेश कुमार कानि. नम्बर 219 के ब्यूरों के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादिया के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली, परिवादी श्री भगवानाराम मय श्री प्रकाश कानि. को परिवादी के निजी वाहन सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट से रवाना होकर वक्त 02.17 पी.एम..पर मथुरादास अस्पताल के गेट नम्बर 02 के पास पहुंचे। जहां पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि. श्री प्रकाश नम्बर 265 से परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द कर रिश्वत राशि लेन देन हेतु मय उसके निजी वाहन सहित मथुरादास अस्पताल के गेट नम्बर 02 के अन्दर की तरफ रवाना किया गया। परिवादी के पीछे पीछे श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, कानि. श्री भंवरलाल नम्बर 501 को उनकी निजी मोटर साईकिल व श्री रामचन्द्र सिह कानि. व श्री अर्जुनसिह कानि. नम्बर 319 को उनकी निजी मोटर साईकिल सहित रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय निजी वाहन व सरकारी वाहन के शेष ब्यूरों जाब्ता मय गवाहान के मथुरादास अस्पताल परिसर में ही गोपनीय रूप सें रिश्वत राशि लेन देन के इन्तजार में मुकीम हुए।

वक्त 02.24 पी.एम. पर परिवादी के गोपनीय ईशारा अपनें सिर पर दो बार हाथ फेर कर करनें पर मन् निरीक्षक पुलिस मय निजी वाहन व सरकारी वाहन मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व हमराहीयान के मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर के अन्दर चौराहा पर पहुंचा। जहां पर एक व्यक्ति को श्री अर्जुनसिह कानि. व श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नें पकड रखा है। और ब्यूरों जाब्ता श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री भंवरलाल कानि. उनके पास मौजूद है। परिवादी श्री भगवानाराम भी इनके पास खडें है। परिवादी श्री भगवानाराम सें डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस नें प्राप्त कर श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर स्वीच ऑफ कर अपनें कब्जें में सुरक्षित रखा।

रूबरू गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के समक्ष परिवादी श्री भगवानाराम नें ब्यूरों स्टाफ द्वारा पकडे हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि यही श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी है जिन्होनें मेरे पदस्थापन आदेश जारी करनें की एवज में मेरे से श्री विक्रम गहलोत अतिरिक्त जिला शिक्षा

अधिकारी जोधपुर के लिए अभी अभी 25000 रूपयें रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनें दाहिने हाथ में रखें है। इतनें में ही मेरे द्वारा सिर पर दो बार हाथ फेर कर ब्यूरों जाब्ता को रिश्वत राशि लेन देन हो जानें का गोपनीय ईशारा किया। जिस पर ब्यूरों जाब्ता द्वारा आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी को पकड लिया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी से अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आनें का मन्तव्य सें अवगत करवाया जाकर उसका परिचय पूछनें पर अपना नाम श्री अनिल कुमार भाटी पुत्र श्री आनन्द प्रकाश भाटी उम्र 58 साल जाति सैन निवासी सी–183, सरस्वती नगर जिला जोधपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग, जोधपुर होना बताया। जिस पर आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी परिवादी श्री भगवानाराम सें 25,000 रूपयें रिश्वति राशि प्राप्त करनें के सम्बन्ध में पूछनें पर बताया कि श्री भगवानाराम का कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा के कार्यालय सें पदस्थापन आदेश जारी होना था। उस आदेश जारी करनें की एवज में मुझे श्री विक्रम गहलोत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नें श्री भगवानाराम सें 50,000 रूपयें लेनें हेतु कहा था व कहा था कि आधे 25000 रूपयें काम से पहलें व आधे 25000 रूपयें काम होनें के बाद लेने है। यह रिश्वत राशि 25,000 रूपयें मैनें श्री विक्रम गहलोत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के लिए ली है। मेरा इस रिश्वत राशि में कोई हिस्सा नही है। मै मेरे मोबाईल से रिश्वत राशि लेनें के सम्बन्ध में श्री विक्रम गहलोत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर से उनके मोबाईल पर वार्ता कर सकता हूं। जिस पर आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी के दाहिनी हाथ में रखी रिश्वत राशि को गवाह श्री धर्मेन्द्र सिंह भाटी से लिरवाई जाकर उक्त गवाह के पास सुरक्षित संभलाई जाकर आरोपी कों मन् निरीक्षक पुलिस की निजी वाहन में श्री मेघराज हैड कानि. व श्री प्रकाश कानि. सें पकडाकर आरोपी कों निजी वाहन में बैठाकर आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी के मोबाईल नम्बर 9001660601 सें श्री विक्रम गहलोत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर के मोबाईल नम्बर 9784872333 पर वार्ता आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाई गई। इसी दौरान आरोपी श्री विक्रम गहलोत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर के मोबाईल से आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी के मोबाईल पर वाटसअप कॉल आया जिससे कार्यालय के डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया। ट्रेप कार्यवाही स्थल मथुरादास अस्पताल परिसर में होनें एवं मौके पर भीडभाड को देखतें हुएं तथा ट्रेप कार्यवाही हेतु उचित व्यवस्था नही होनें के कारण मन् निरीक्षक पुलिस मय निजी वाहन व हमराहीयान के सरकारी वाहन, परिवादी श्री भगवानाराम व उनके निजी वाहन व निजी मोटर साईकिलें सहित मथुरादास अस्पताल जोधपुर से एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर के लिए रवाना होकर समय करीब 02.45 पी.एम. पर एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर पहुंचे।

तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री भगवानाराम वं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी पुत्र श्री आनन्द प्रकाश भाटी उम्र 58 साल जाति सैन निवासी सी–183, सरस्वती नगर जिला जोधपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग, जोधपुर के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में कार्यालय के वाटर कूलर में से साफ पीने का पानी की बोतल मंगवायी जाकर उक्त कांच की दो गिलासो को आधा–आधा भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा विभाग जोधपुर के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा विभाग जोधपुर के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर रंग हल्का झाईनुमा हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल के रंग को हल्का झाईनुमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया। इसी दौरान आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी के वाटसअप सें पुनः श्री विक्रम गहलोत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के मोबाईल पर वाटसअप कॉल लगवाया गया परन्तु उनके द्वारा रिसीव नही किया गया। आरोपी के वाटसअप पर आयें विक्रम सिह गहलोत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर के कॉल का आरोपी के मोबाईल से स्क्रीनशॉट लिया जाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री धमेन्द्र सिंह भाटी के पास रखी रिश्वत राशि जिससें आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी से बरामद की गई, जिसकों गवाह श्री राकेश कच्छवाहा सें पूर्व में तैयार फर्द पेशकसी कों सुपर्द कर उक्त राशि का बोल बोल कर गवाह श्री धमेन्द्र भाटी सें मिलान करवाया गया तों

फर्द पेशकसी के अनुसार उक्त राशि फर्द के मुताबिक 2000–2000 रूपयें के कुल 12 नोट एवं 500–500 रूपयें के 02 नोट कुल रिश्वत राशि 25,000/– रूपये होना पाई गई, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

1.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	0 AG 577721
2.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	1 AN 877052
3.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	2 CC 190119
4.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	9 KH 755139
5.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	6 AS 281339
6.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	8 AM 211894
7.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	7 BR 075094
8.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	0 ME 356593
9.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	5 DS 828311
10.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	8 FS 762152
11.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	3 LF 062815
12.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	3 GF 097668
13.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 RS 450600
14.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 ME 924028

उक्त भारतीय मुद्रा 25,000/–को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये।

आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी की जामा तलाशी गवाह श्री राकेश कच्छवाहा सें लिरवाई गई तों आरोपी के पहनें हुए शर्ट की बांयी जेब में एक सैमसंग कम्पनी का मोबाईल जे–8 जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 351753106147365 2. 351754106147363 जिसमें एक एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर 9001660601 होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में कालें रंग का पर्स मिला। उक्त पर्स में एक सफेद कागज पर भगवानाराम वरिष्ठ अध्यापक सेवानिवृति तिथि 22 जुलाई 2024 रिक्त स्थान व.अ. रा.उ.प्रा.वि. रामजी का गोल गुडामालानी बाडमेंर वर्तमान पदस्थापन रा.बा.उ.मा. वि. अणखिया बाडमेंर (100 किमी) लिखी हुई मिली। जो परिवादी श्री भगवानाराम वरिष्ठ अध्यापक के कार्य से सम्बन्धित है। जिस पर उक्त लिखें हुए कागज पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरों ली गई। आरोपी के पर्स में 500–500 रूपयें के 2 नोट कुल 1000 रूपयें मिलें। उक्त 1000 रूपयें के सम्बन्ध में आरोपी को पूछनें पर अपनें खर्चे के होना बताया। जिस पर आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी को पर्स व 1000 रूपयें पुनः लौटायें गये। इसके अतिरिक्त आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी के पास कोई वस्तु, राशि व दस्तावेज कब्जा ब्यूरों नही लिया गया।

आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी पुत्र श्री आनन्द प्रकाश भाटी उम्र 58 साल जाति सैन निवासी सी–183, सरस्वती नगर जिला जोधपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग, जोधपुर का अन्तर्गत अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया है

अब तक की कार्यवाही से श्री अनिल कुमार भाटी पुत्र श्री आनन्द प्रकाश भाटी उम्र 58 साल जाति सैन निवासी सी–183, सरस्वती नगर जिला जोधपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग, जोधपुर अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। अन्य आरोपीगण के सम्बन्ध में विस्तृत अनुसंधान किया जावेगा। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी. श्री अनिल कुमार भाटी पुत्र श्री आनन्द प्रकाश भाटी उम्र 58 साल जाति सैन निवासी सी–183, सरस्वती नगर जिला जोधपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग, जोधपुर को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी।

वक्त 06.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी श्री भगवानाराम, श्री अयूब खॉ उप निरीक्षक के मेरे निजी वाहन सें नक्शा मौका घटना स्थल मूर्तिब करनें हेतु आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी व ट्रेप बाक्स मय जब्त शुदा आर्टिकल्स कों श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 व श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 को सुपर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के स्पेशल यूनिट जोधपुर सें मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर के लिए रवाना हुआ।

वक्त 06.50 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के स्पेशल यूनिट जोधपुर पर उपस्थित आया। दोनों रूबरू दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री भगवानाराम की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका श्री अयूब खॉ उप निरीक्षक के हस्तलिखित मौके पर तैयार करवाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवा कर शामिल रंनिग नोट किया गया। आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी व ट्रेप बॉक्स मय आर्टिकल्स के अपनें कब्जें में श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 से लिये गये।

समय 07.00 पी.एम. पर बाद पूछताछ के आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी पुत्र श्री आनन्द प्रकाश भाटी उम्र 58 साल जाति सैन निवासी सी–183, सरस्वती नगर जिला जोधपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग, जोधपुर को उसके द्वारा किये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर शामिल रंनिग नोट की गयी।

समय 07.10 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान ही श्री भूरसिंह कानि. नम्बर 23 को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी का सेवा विवरण व परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली लानें हेतु मय तहरीर देकर कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा के लिए रवाना किया गया था। श्री भूरसिंह कानि. नम्बर 23 एसीबी चौकी जोधपुर कार्यालय स्पेशल यूनिट हाजिर आया और आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी का कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा सें सेवा विवरण व परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की प्रमाणित प्रति मन् निरीक्षक पुलिस को लाकर प्रस्तुत की। सेवा विवरण व परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन कर शामिल रंनिग नोट किया गया।

समय 07.20 पी.एम. पर परिवादी श्री भगवानाराम व दोनो स्वतन्त्र गवाहान की कार्यवाही में आवश्यकता नही होनें पर कल दिनांक 07.10.2022 को समय 08.45 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया।

समय 07.30 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में जब्त शुदा आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, शील्ड शुदा रिश्वति राशि 25000 रूपयें, आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी का एक सेमसंग कम्पनी का मोबाईल मय एक सिम के श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में ईन्द्राज करवा कर जमा मालखाना करवायें गये।

दिनांक 07.10.2022 वक्त 08.45 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाह धर्मेन्द्रसिंह भाटी व श्री राकेश कच्छवाहा व परिवादी श्री भगवानाराम कार्यालय एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर पर उपस्थित आयें है।

वक्त 08.50 ए.एम. पर परिवादी श्री भगवानाराम एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री भगवानाराम एवं आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी के मध्य दिनांक 30.09.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू हुई वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त वार्ता कों दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री भगवानाराम के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी श्री भगवानाराम के समक्ष सुन व समझकर शब्द, बशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री रामचन्द्र सिंह कानि. नम्बर 432 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री भगवानाराम द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आरोपी अनिल कुमार भाटी की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की तीन सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दों सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। दो डब सीडी में से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान प्रयोजनार्थ तैयार की गई है। उक्त सीडीयों को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना करवाई गई।

वक्त 12.05 पी.एम. पर परिवादी श्री भगवानाराम एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री भगवानाराम एवं आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी के मध्य दिनांक 06.10.2022 को हुई रिश्वती राशि लेन

देन रूबरू हुई वार्तालाप, आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी और सह आरोपी श्री विक्रम सिंह गहलोत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के मध्य हुई रिश्वति राशि लेन देन के बाद मोबाईल पर हुई वार्ता एवं वाटसअप पर हुई वार्तालाप रिकॉर्ड है, उक्त वार्ता कों दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री भगवानाराम के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी श्री भगवानाराम के समक्ष सुन व समझकर शब्द, बशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेन देन वार्ता श्री रामचन्द्र सिंह कानि. नम्बर 432 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री भगवानाराम द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आरोपी अनिल कुमार भाटी एवं श्री विक्रम सिंह गहलोत की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की तीन सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दों सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। दो डब सीडी में से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान प्रयोजनार्थ तैयार की गई है। उक्त सीडीयों को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना करवाई गई।

वक्त 01.25 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह धर्मेन्द्रसिंह भाटी व श्री राकेश कच्छवाहा व परिवादी श्री भगवानाराम की आवश्यकता नही होनें के कारण कार्यालय से रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही सें परिवादी श्री भगवानाराम पुत्र श्री भीखाराम जाति जाट उम्र 59 साल निवासी रामजी का गोल फान्टा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेंर के माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की पालना में पदस्थापन आदेश जारी करनें की एवज में आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग जोधपुर द्वारा दिनांक 30.09.2022 को दौराने मांग सत्यापन 50,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना तथा 25,000 रूपयें काम होनें से पहलें व 25,000 रूपयें काम होनें के बाद में मांग तय होना, दिनांक 06.10.2022 को दौरानें रिश्वत राशि लेन देन आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी द्वारा परिवादी भगवानाराम सें 25000 रूपयें प्राप्त करना, दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी अनिल कुमार भाटी के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का धोवन हल्का गुलाबी व बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का धोवन झाईनुमा प्राप्त होना, रिश्वति राशि 25,000 रूपयें रूबरू गवाहान के आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी से बरामद होना, आरोपी से रिश्वत राशि बरामद होनें के बाद सह आरोपी श्री विक्रम सिंह गहलोत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर से आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी द्वारा मोबाईल पर वार्ता करना, सह आरोपी विक्रम सिह गहलोत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्पष्ट वार्ता नही करना व शाम को बातचीत करना का कहना ईत्यादि से आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी पुत्र श्री आनन्द प्रकाश भाटी उम्र 58 साल जाति सैन निवासी सी–183, सरस्वती नगर जिला जोधपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग, जोधपुर एवं अन्य के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण में अन्य संदिग्ध आरोपीगण की भूमिका के सम्बन्ध में विस्तृत अनुसंधान किया जायेगा।

अतः आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी पुत्र श्री आनन्द प्रकाश भाटी उम्र 58 साल जाति सैन निवासी सी–183, सरस्वती नगर जिला जोधपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग, जोधपुर एवं अन्य के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(राजेन्द्रसिंह)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट, जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्रसिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0दं0सं0 में आरोपी श्री अनिल कुमार भाटी पुत्र श्री आनन्द प्रकाश भाटी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, गौशाला मैदान के पास जोधपुर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 395/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

7/10/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 3444-48 दिनांक 07.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, शिक्षा विभाग, राजस्थान।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।